

द्वितीय अन्तिम स्मरण पत्र


क्रमांक 4214115  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,  
मध्यप्रदेश.

भोपाल दिनांक 14 / 07 / 2017

- |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| (1) | आयुक्त,<br>भू-अर्जन एवं पुनर्वास,<br>बाणसागर परियोजना<br>रीवा --(म0प्र0) | (2) | समस्त मुख्य अभियन्ता,<br>जल संसाधन विभाग (म0प्र0)<br>.....(म0प्र0)   |
| (3) | समस्त अधीक्षण यंत्री<br>जल संसाधन मण्डल,<br>.....(म0प्र0)                | (4) | समस्त कार्यपालन यंत्री,<br>जल संसाधन संभाग (म0प्र0)<br>.....(म0प्र0) |

विषय :- श्री अशोक कुमार अग्रवाल, मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) का अ-3 (तीन) श्रेणी की अमानत राशि वापस करने के संबंध में न मांग प्रमाण-पत्र भेजने बावत् ।  
संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4214115 दिनांक 16.01.2017, 23.02.2017 एवं दिनांक 06.06.2017

श्री अशोक कुमार अग्रवाल, मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) का पंजीकृत ठेकेदारों की सूची अ-3 (तीन) श्रेणी में पंजीयन इस कार्यालय के पत्र क्रं. 4214115 दिनांक 31.08.1994 द्वारा किया गया था, जो कि निष्प्रभावी हो गया है । ठेकेदार द्वारा आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्हें पंजीयन के समय जमा अमानत राशि रुपये 30,000/- वापस की जावें ।  
2- अनुरोध है कि आपकी संरचना के अन्तर्गत यदि ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध किसी प्रकार की शासकीय राशि की वसूली की जाना हो, तो दिनांक 30.08.2017 तक इस कार्यालय को फैंक्स अथवा द्वारा ई-मेल द्वारा अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें  
3- निर्धारित अवधि में यदि आपसे जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान्य किया जावेगा कि ठेकेदार/फर्म से किसी प्रकार की वसूली/बकाया नहीं है, तथा अमानत राशि वापस कर दी जावेगी । इसके उपरान्त वसूली सूचित की जावेगी, तो उसकी जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी ।

  
(शिरीष मिश्रा)  
अधीक्षण यंत्री (बजट)  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल.  
भोपाल, दिनांक 14 / 07 / 2017

पृ.क्रमांक-4214115  
प्रतिलिपि :-

✓ वेब मेनेजर विश्व बैंक परियोजनायें भोपाल मध्य प्रदेश की ओर विभागीय वेबसाईड पर पत्र प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित ।

  
(शिरीष मिश्रा)  
अधीक्षण यंत्री (बजट)  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग, भोपाल.

"कुशवाहा"